# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः— 296 / 2021 दर्ज दिनांक 29.10.2021

जीएसएमएस न. 2021 / 814 निर्णय दिनांक 20.04.2023

जुगलाल पुत्र भैरू जाति जाट निवासी बजावा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

प्रार्थीगण

बनाम

1. अमीलाल पुत्र अर्जुनराम
2. जयसिंह पुत्र अर्जुनराम
3. दयानन्द पुत्र शिवनारायण
4. देवकरण पुत्र शिवनारायण
5. मोहरसिंह पुत्र शिवनारायण
6. रणजीत सिंह पुत्र अर्जुनराम
7. शीशराम पुत्र अर्जुनराम

समस्त जाति जाट निवासी डुडीनगर तन भोड़की तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।

8. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामण बैंक शाखा बडागांव जरिये शाखा प्रबन्धक।
9. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामण बैंक शाखा बजावा जरिये शाखा प्रबन्धक।
10. पंजाब नेशनल बैंक शाखा झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक
11. विजया बैंक शाखा झुन्झुनूं शाखा प्रबन्धक।
12. तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी।

अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) रा0 का0 अधिनियम**

निर्णय दिनांक 20.04.2023

प्रार्थी ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम मूण्डों की ढाणी पटवार हल्का बजावा तहसील उदयपुरवाटी के भूमि खसरा न. 1041 रकबा 1.00 है0 भूमि अवस्थित है जिसका प्रार्थी एकमात्र खातेदार काश्तकार है। ग्राम मूण्डों की ढाणी पटवार हल्का बजावा तहसील उदयपुरवाटी में भूमि खसरा न. 1152 रकबा 1.62 है0 भूमि अवस्थित है जिसके अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 खातेदार काश्तकार हैं। एक रास्ता भूमि खसरा न. 1151 तक जाता है खसरा न. 1151 श्मशान भूमि है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि न. 1014 में आने जाने हेतु एक पगडण्डी श्मशान भूमि से खसरा न. 1152 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक जाती है। प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में आने जाने के लिए रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की कृषि भूमि से होता हुआ प्रार्थी की भूमि तक करीबन 200 [illegible] की आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी नक्शे में [illegible] रास्ते को एक से बी बिन्दु दर्शाया गया है। दिनांक 10.10.2021 को अप्रार्थी [illegible] लगायत 7 [illegible] रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने से मना कर दिया। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] में समायोजित होने वाली कृषि भूमि के बदले कीमत आदा करने को कहा परन्तु अप्रार्थी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:03:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

लगायत 7 इनकार हो गए कि हम आपको किसी भी कीमत पर रास्ता नहीं देंगे। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी को मूण्डों की ढाणी पटवार हल्का बजावा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में खसरा न. 1041 रकबा 1.00 है0 में आने जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की भूमि खसरा न. 1152 रकबा 1.62 है0 में से 200 मीटर लम्बार व 4 मीटर चौड़ा रास्ता आने जाने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार ए से बी बिन्दु दर्शाया गया है उसको दिलवाये जाने के आदेश दिए जाना प्रार्थनीय प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अनावेदकगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1, 3 लगायत 7 की तरफ से वकील अप्रार्थीगण ने जवाब पेश नहीं किया अप्रार्थी संख्या 2, 8 लगायत 12 बावजूद तामील हाजिर नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में तहसीलदार गुढ़ागौड़जी से मौका जाचं रिर्पोट दिनांक 25.04.2022 को प्राप्त। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को बार–बार आवाज लगाने के बावजूद भी हाजिर नहीं।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) पर एकपक्षीय श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थी को अपने खातेदारी की भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 07 की खातेदारी भूमि खसरा न. 1152 में से 4 मीटर चौड़ा रास्तास संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार दिलाए जाने के आदेश प्रदान किया जाना प्रार्थनीय है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ऐतराज मौका जांच रिपोर्ट खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क रा.का. अधिनियम स्वीकार किया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका जाचं रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकील की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये ग्राम मूण्डों की ढाणी पटवार हल्का बजावा के भूमि खसरा न. 1041 में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 07 की खातेदारी भूमि खसरा न. 1152 में से 4 मीटर चौड़ा रास्ता कायम करवाना चाहा । तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक व नजदीकी रास्ता नहीं है। रा.का. अधिनियम 251क सम्मरी ट्रायल है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ऐतराज मौका जांच रिपोर्ट का कोई औचित्य नहीं है उक्त विवेचना से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ऐतराज मौका जांच रिपोर्ट खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क रा.का. अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:03:08 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मूण्डों की ढाणी पटवार हल्का बजावा में स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1041 में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 07 की खातेदारी भूमि खसरा न. 1152 में से तहसीलदार गुढ़ागौड़जी से प्राप्त मौका जॉच रिर्पोट में दर्शाया गया रास्ता को राजकीय रास्ता कायम किया जाता है। प्रार्थी रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि के बदले भूमि या डी0 एल0 सी0 दर की दुगनी राशि को तहसीलदार गुढ़ागौड़जी के पास जमा करवाऐ एवं तहसीलदार गुढ़ागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त जमा डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशी को जिस खातेदारी की भूमि रास्ते में समायोजित हो रही है को नियमानुसार भुगतान करे/ जमीन के बदले जमीन दे तथा उक्त 4 मीटर चौड़ा रास्ता को राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करते हुए नक्शा ट्रेस में भी अंकित करें। फर्द मौका रिर्पोट दिनांक 25.04.2022 मय नक्शा इस आदेश का अभिन्न हिस्सा रहेगी।

20/4/23
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 20.04.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

20/4/23
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

नोट:- निर्णय दिनांक 20/4/2023 में अप्रार्थीगण का पता डूडीनगर मोड़ की ढाणी की बजाय बजावा तथा निर्णय के प्रथम पृष्ठ पर अंकित भूमि खसरा न. 1014 के बजाय खसरा न. 1041 दुरुस्त किया जाता है।

/23
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:03:08 IST
Reason: SelfAttested